

क्रमांक / 346 / अ.व्या / 2019

आमंत्रण-पत्र

पण्डरिया, दिनांक 19/9/2019

प्रति,

श्रीमती चान्दनी सोलंकी
W/o श्री पुष्पराज सिंह सोलंकी
भगत चौक वार्ड क्र. 19
डोंगेशगढ़, जिला शतनांदगांव

विषय :- विषय-~~रसायन शास्त्र~~ अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 06.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरघाम में अतिथि व्याख्याता विषय ~~रसायन शास्त्र~~ के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 23-09-19 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।


आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण-पत्र स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपकी विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं है। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

नोट- 1. शेष शर्तें शारान के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।


(डॉ. ए. सी. वर्मा)
प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरघाम (छ.ग.)

शुक्र प्रति प्राप्त हुई,

Chandani Thakur
19/09/2019

क्रमांक 1344 / अ.व्या / 2019

पण्डरिया, दिनांक 18/9/2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

श्री विवेक सिन्हा
वा.ई.क. 18 बुधवार बाजार
पोंक, कबीरधाम कोटिगा धर्मधा दुर्ग

विषय :- विषय- वा.ई.क. अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 06.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम में अतिथि व्याख्याता विषय वा.ई.क. के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 22.09.19 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण-पत्र स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपकी विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं है। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

नोट- 1. शेष शर्तें शासन के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक हो की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।



(डॉ. ए.सी. वर्मा)

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

श्री विवेक सिन्हा

पण्डरिया, दिनांक 18/9/2019

क्रमांक 344 / अ.व्या / 2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

श्री विवेक सिन्हा
वाई.क. 18 बुधवार बाजार
चौक, कबीरधाम कोडिंग धर्मदा दुर्ग

विषय :- विषय- वार्ता अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 06.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम में अतिथि व्याख्याता विषय वार्ता के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 23.09.19 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।


आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण-पत्र स्वमेव रामाप्त हो जावेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपकी विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं है। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

नोट- 1. शेष शर्तें शासन के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति रामाप्त कर दी जावेगी।



(डॉ. ए.सी. वर्मा)

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

श्री विवेक सिन्हा
प्रति प्राप्त किया

क्रमांक/335/अ.व्या/2019

पण्डरिया, दिनांक 17/9/2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

अपके वैष्णव
शिकं 2 वाई पटवापाश
मुंगेली, जिला मुंगेली

विषय :- विषय- इन्दी अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 06.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम में अतिथि व्याख्याता विषय इन्दी के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 21-09-19 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण-पत्र स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपकी विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं है। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

नोट- 1. शेष शर्तें शारान के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।





(डॉ. ए.सी. वर्मा)

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक / 337 / अ.व्या / 2019

आमंत्रण-पत्र

पण्डरिया, दिनांक 18/09/2019

प्रति

श्री दीपक कुमार सोनी
ग्रा. प्रो. कुलकुली
जिला जसपुर (छ.ग.)

विषय :- विषय- वनस्पति शास्त्र अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 06.09.2019 के तारताम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम में अतिथि व्याख्याता विषय वनस्पति शास्त्र के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 23-09-19 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।


आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण-पत्र स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपकी विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं है। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

नोट- 1. शेष शर्तें शारान के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।





(डॉ. ए. सी. वर्मा)

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक / 338 / अ.व्या / 2019

पण्डरिया, दिनांक 18/09/2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

श्री अक्षय कुमार ठोंडे
गा. उम्दा, तिलवाड़ी-03
विला दुर्गा (छ.ग.)

विषय :- विषय- प्राणीशास्त्र अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 06.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम में अतिथि व्याख्याता विषय प्राणीशास्त्र के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 23-09-19 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण-पत्र स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपकी विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं है। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

नोट- 1. शेष शर्तें शारान के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

Receipt
Sourda
18/9/19


(डॉ. ए.सी. वर्मा)
प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक/336 /जन.अ.व्या/ 2019

पण्डरिया, दिनांक 17/9/2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

श्रीमती गिरतेवरी चंद्राकर
W/o श्री पदीप चंद्राकर
गुरुगोविंद सिंह वाठ कव्धा

विषय :- विषय- डांगोली जनभागीदारी अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 11.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम में जनभागीदारी अतिथि व्याख्याता विषय डांगोली के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 17.09.2019 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

आपको अध्यापन हेतु 10,000/- (अक्षरी रु. दस हजार मात्र) पूर्व में जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित वाहन भत्ता दिया जाएगा।

नोट- 1. शेष शर्तें शासन के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी आमंत्रण समाप्त कर दी जावेगी।

3. यह आमंत्रण अध्यापन व्यवस्था हेतु अस्थायी है, भविष्य में नियमितकरण का अधार नहीं बनेगा।


(डॉ. ए. सी. वर्मा)

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक/३३५/अ.व्या/ 2019

आमंत्रण-पत्र

पण्डरिया, दिनांक 18/09/2019

प्रति,

श. मूल्य देवोपाध्याय
विनायक भावे वाई.
स्वर्गपाश मुंबई

विषय :- विषय- अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 06.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम में अतिथि व्याख्याता विषय अतिथि व्याख्याता के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 23.09.19 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।


आपको अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (40/45 मिनट) हेतु रु. 200/- जो प्रतिदिन रु. 800/- अधिकतम एवं प्रतिमाह रु. 20800/- सिलिंग के अधीन होगा।

महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा स्थानांतरण से नियमित सहायक प्राध्यापक उपस्थित होने पर आपका आमंत्रण-पत्र स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

कार्यभार ग्रहण के समय शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें आपकी विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण पुलिस या न्यायालय में दर्ज नहीं है। एवं कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

नोट- 1. शेष शर्तें शासन के आदेशानुसार रहेंगे।

2. आपकी नियुक्ति अध्यापन व्यवस्था हेतु की गई है अतः कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या अनुशासनहीनता पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।



(डॉ. ए.सी. वर्मा)

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)



HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

NAFR

WPS No. 2960 of 2019

✓ Suman Sahu D/o Shri Mohanlal Sahu, Aged About 25 Years Occupation Guest Faculty (Physics) At Government Indira Gandhi College, Pandariya District Kabirdham Chhattisgarh.

--- Petitioner

Versus

1. State Of Chhattisgarh Through Its Secretary Higher Education Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Raipur Chhattisgarh.
2. Additional Director Directorate Of Higher Education Department, Atal Nagar, Raipur Chhattisgarh.
3. Principal Government Indira Gandhi College, Pandariya, District Kabirdham Chhattisgarh.

--- Respondents

For Petitioner
For State

: Mr. Ghanshyam Kashyap, Advocate
: Mr. Ishan Verma, Panel Lawyer

Hon'ble Shri Justice P. Sam Koshy
Order on Board

22/04/2019
High Court of Chhattisgarh

1. The grievance of the petitioner in the present writ petition is that since the petitioner was working as a Guest Lecturer under the respondent No.3 for the academic year 2018-19 and academic sessions is coming to an end in May, 2019 the respondents should not be permitted to replace the petitioner by another set of contractual Guest Lecturers.
2. The contention of the petitioner is that the petitioner has undergone a due process of selection for being appointed as a Guest Lecturer and that the services of the petitioner also was satisfactory as there is no complaint whatsoever, so far as the competency of the petitioner is concerned. It is further the contention of the petitioner that now that the academic session is over, the respondents should not be permitted to go in for a fresh recruitment process for filling up of the posts of Guest Lecturers under the

NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

WPS No. 5133 of 2019

✓ Bhumija Chandrakar D/o Shri Ramsnehi Chandrakar, Aged About 24 Years, Occupation Guest Faculty (Maths) India Gandhi Govt. College, Pandariya, District Kabirdham Chhattisgarh R/o Village And Post Bodtara Khurd, Tahsil Pandariya, District Kabirdham Chhattisgarh

---- Petitioner

Versus

1. State Of Chhattisgarh Through Principal Secretary, Higher Education Department, Mantralaya, Indirawati Bhawan, New Raipur, District Raipur Chhattisgarh
2. Commissioner, Higher Education, Block C-3, 2nd And 3rd Floor, Indrawati Bhawan, New Raipur District Raipur, Chhattisgarh
3. Principal, Indra Gandhi Govt. College, Pandariya, District Kabirdham Chhattisgarh

----Respondents

For Petitioner : Mr. Chandradeep Prasad, Advocate.
For State : Mr. Arvind Duebey, P.L.

Hon'ble Shri Justice P. Sam Koshy
Order on Board

15/07/2019

1. The grievance of the petitioner in the present writ petition is that since the petitioner was working as a Guest Lecturer under the respondent No. 3 for the academic year 2018-19 and academic session has come to an end in February, 2019, the respondents

True Copy Attested

Smt. Sunita Thakur
Notary

Bilaspur (C. G.)





NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

WPS No. 2962 of 2019

Sonal Chandravanshi D/o Shri Ramkishun Chandravanshi Aged About 27 Years Occupation Guest Faculty (Botany), At Government Indira Gandhi College, Pandariya District- Kabirdham, Chhattisgarh.

Versus

--- Petitioner

1. State Of Chhattisgarh Through Its Secretary Higher Education Department, Mantralaya, Mahanadi, Bhawan, Atal Nagar, Raipur, Chhattisgarh.
2. Additional Director Directorate Of Higher Education Department, Atal Nagar, Raipur, Chhattisgarh.
3. Principal Government Indira Gandhi College, Pandariya, District- Kabirdham, Chhattisgarh.

---Respondents


For Petitioner
For State

Mr. Ghanshyam Kashyap, Advocate
Mr. Ishan Verma, Panel Lawyer

Hon'ble Shri Justice P. Sam Koshy
Order on Board

22/04/2019

1. The grievance of the petitioner in the present writ petition is that since the petitioner was working as a Guest Lecturer under the respondent No.3 for the academic year 2018-19 and academic sessions is coming to an end in May, 2019 the respondents should not be permitted to replace the petitioner by another set of contractual Guest Lecturers.
2. The contention of the petitioner is that the petitioner has undergone a due process of selection for being appointed as a Guest Lecturer and that the services of the petitioner also was satisfactory as there is no complaint whatsoever, so far as the competency of the petitioner is concerned. It is further the contention of the petitioner that now that the academic session is over, the respondents should not be permitted to go in for a fresh recruitment process for filling up of the posts of Guest Lecturers under the





HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

NAFR

WPS No. 3500 of 2019

Laveena Thakur D/o Shri Narendra Singh Thakur Aged About 28 Years
Occupation Guest Faculty (Chemistry), At Government Indira Gandhi
College, Pandariya, District Kabirdham Chhattisgarh.

--- Petitioner

Versus

1. State Of Chhattisgarh Through Its Secretary, Higher Education Department, Mantralaya, Mahanadi, Bhawan, Atal Nagar, Raipur Chhattisgarh.
2. Additional Director Directorate Of Higher Education Department, Atal Nagar, Raipur Chhattisgarh.
3. Principal Government Indira Gandhi College, Pandariya, District Kabirdham Chhattisgarh.

--- Respondents

For Petitioner
For State

Shri Ghanshyam Kashyap, Advocate.
Shri Saleem Kazi, Dy. A. G.

Hon'ble Shri Justice P. Sam Koshy

Order on Board

09/05/2019

1. The grievance of the petitioner in the present writ petition is that since the petitioner was working as a Guest Lecturer under the respondent No.3 for the academic year 2018-19 and academic sessions has come to an end in February, 2019, the respondents should not be permitted to replace the petitioner by another set of contractual Guest Lecturers.
2. The contention of the petitioner is that the petitioner has undergone a due process of selection for being appointed as a Guest Lecturer and that the services of the petitioner also was satisfactory as there is no complaint whatsoever, so far as the competency of the petitioner is concerned. It is further the contention of the petitioner that now that the academic session is over, the respondents should not be permitted to go in for a fresh recruitment process for filling up of the posts of Guest Lecturers under the respondent No.3 for the subject in which the petitioner was taking classes.

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

WPS No. 3722 of 2019

Sharad Chandravanshi S/o Ghanshyam Aged About 33 Years Working As Guest Faculty (English) At Indira Gandhi Govt. College, Pandariya, District Kabirdham Chhattisgarh., District : Kawardha (Kabirdham), Chhattisgarh
---- Petitioner


Versus

1. State Of Chhattisgarh Through The Secretary, Department Of Higher Education, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Atal Nagar, District Raipur Chhattisgarh., District : Raipur, Chhattisgarh
2. Additional Director Directorate Of Higher Education Department, Atal Nagar, Raipur, District Raipur Chhattisgarh., District : Raipur, Chhattisgarh
3. Principal Indira Gandhi Govt. College, Pandariya, District Kabirdham Chhattisgarh., District : Kawardha (Kabirdham), Chhattisgarh

---Respondents

For Petitioner
For State

- : Mr. Nishi Kant Sinha, Advocate
: Mr. Saleem Kazi, Dy. A.G.
Ms. Sunita Jain, G.A.
Mr. Arvind Dubey, Panel Lawyer
Mr. P. Acharya, Panel Lawyer



Hon'ble Shri Justice P. Sam Koshy
Order on Board

1. The grievance of the petitioner in the present writ petition is that since the petitioner was working as a Guest Lecturer under the respondent No.3 for the academic year 2018-19 and academic sessions has come to an end in March, 2019 the respondents should not be permitted to replace the petitioner by another set of contractual Guest Lecturers.
2. The contention of the petitioner is that the petitioner has undergone a due process of selection for being appointed as a Guest Lecturer and that the services of the petitioner also was satisfactory as there is no complaint whatsoever, so far as the competency of the petitioner is concerned. It is further the contention of the petitioner that now that the academic session is over, the respondents should not be permitted to go in for a fresh



①

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT
BILASPUR (C.G.)

W. P. (S). NO. 5849 OF 2018

PETITIONERS

1. Arpita Dubey, aged about 26 years, D/o Shri H.D.Dubey, Occupation-Guest Faculty (Botany Subject) Government College Kotri Distt. Mungeli (C.G.)
2. Pooja Pandey, aged about 27 years, D/o Late Shri S.L.Pandey, Occupation-Guest Faculty (Botany Subject) Government Bilasa Girls Graduate College Bilaspur Distt. Bilaspur (C.G.)
3. Pankaj Markandey, aged about 27 years, S/o Shri Kaliram Markandey, Occupation-Guest Faculty (~~Geography~~ ~~Zoology~~ Subject) Indira Gandhi Government College Pandariya Distt. Kabirdham (C.G.)
4. Rakmani Gendle, aged about 27 years, D/o Shri Ramchandri, Occupation-Guest Faculty (Economics Subject) Pant Shri Grindh Muni Nam Saheb Government Graduate College Kawardha Distt. Kabirdham (C.G.)
5. Swati Jangade, aged about 28 years, D/o Shri Ram Narayan Jangde, Occupation-Guest Faculty (Zoology Subject) Government College Deepika Korba Distt. Korba (C.G.)
6. Laxmi Narayan Sahu, aged about 30 years, S/o Shri Bulharam Sahu, Occupation-Guest Faculty (Zeography Subject) Government College Deepika Korba Distt. Korba (C.G.)



क्रमांक/382 /जन.अ.व्या/ 2019

पण्डरिया, दिनांक 30/09/2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

कु. खुलिफा उदरिया
डा. श्री उत्तम कुमार उदरिया
शा. रेडुटा खुदे पण्डरिया

विषय :- विषय- परिवरण अध्ययन जनभागीदारी अतिथि व्याख्याता के पद पर
आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 19.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरघाम में जनभागीदारी अतिथि व्याख्याता विषय परिवरण अध्ययन के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 01.10.2019 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

आपको जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित वाहन भत्ता अध्यापन व्यवस्था के लिए राशि 10,000/- (अक्षरी रु. दस हजार मात्र) भुगतान की जावेगी। उक्त समिति के खाता में राशि नहीं होने पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जावेगा, जब उस खाता में राशि आ जाएगी तब आपका भुगतान एकमुस्त कर दिया जाएगा।

नोट- 1. शेष शर्तें जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित।

2. यह अध्यापन व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। भविष्य में नियमितकरण का अधार नहीं बनेगा।

3. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में यह व्यवस्था स्वयं में समाप्त मानी जावेगी।

4. आपकी सेवा 28.02.2020 को स्वयं में समाप्त हो जावेगी।


(डॉ. ए.सी.वर्मा)

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरघाम (छ.ग.)

Received


क्रमांक/38/जन.अ.व्या/2019

पण्डरिया, दिनांक 20/09/2019

आमंत्रण-पत्र

प्रति,

कु. हरिनाथ पाठे
जो श्री गोदारी पाठे
का खोनपुरी पंडरिया

विषय :- विषय- समाप्त शरत जनभागीदारी अतिथि व्याख्याता के पद पर आमंत्रण-पत्र बाबत।

—00—

विषयांतर्गत महाविद्यालय के विज्ञापन दिनांक 19.09.2019 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर चयन समिति के द्वारा मेरिट क्रम में आपका नाम पाये जाने पर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम में जनभागीदारी अतिथि व्याख्याता विषय समाप्त शरत के पद पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अतः आप दिनांक 01.10.2019 तक महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थिति दें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर आमंत्रण आदेश स्वभाव निरस्त हो जावेगा।

आपको जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित वाहन भत्ता अध्यापन व्यवस्था के लिए राशि 10,000/- (अक्षरी रु. दस हजार मात्र) भुगतान की जावेगी। उक्त समिति के खाता में राशि नहीं होने पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जावेगा, जब उस खाता में राशि आ जाएगी तब आपका भुगतान एकमुस्त कर दिया जाएगा।

नोट- 1. शेष शर्तें जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित।

2. यह अध्यापन व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगा।

3. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में यह व्यवस्था स्वयं में समाप्त मानी जावेगी।

4. आपकी सेवा 28.02.2020 को स्वयं में समाप्त हो जावेगी।



(डॉ. ए.सी. वर्मा)

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (अ.प्र.)

Received
S. Patre
01/10/2019